

संख्याक-01

मूल वाद मे डिकी (आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :

1. मलकीतसिंह पुत्र जरनैलसिंह उर्फ जैलासिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
2. रणजीतसिंह पुत्र जरनैलसिंह उर्फ जैलासिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
4. परविन्द्र सिंह पुत्र जसकरणसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
5. सुखजिन्द्र सिंह पुत्र जसकरणसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
6. गुरतेजसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
7. गुरमेलसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
8. जसमेलसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
9. करनैलसिंह पुत्र कौरसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
10. जगसीरसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
11. गुरतेजसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
12. छिन्द्र सिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
13. जगजीतसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
14. हरेन्द्र सिंह पुत्र अवतारसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
15. अवतारसिंह पुत्र सुखपालसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
16. सुखपालसिंह पुत्र कौरसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
17. चरणजीत कौर पत्नि अमरसिंह पुत्र गुचरणसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
18. अनमौलसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
19. नवदीपसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।

---वादीगण

बनाम

1. गुरदेवसिंह पुत्र वीरसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
2. जंगीरसिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
3. टेकसिंह पुत्र हरबंशसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
4. गुरचरणसिंह पुत्र हरबंशसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
5. रिछपाल सिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
6. जीतसिंह उर्फ वीरसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
7. जगसीरसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।



हवाई सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

8. जंगीरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
9. मुकन्दसिंह पुत्र हरनामसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
10. हरीसिंह पुत्र हरनामसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
11. जगराजसिंह पुत्र ठाकरसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
12. गुरतेजसिंह पुत्र ठाकरसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
13. नायबसिंह पुत्र ठाकरसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
14. समराजसिंह पुत्र ठाकरसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
15. भोलासिंह पुत्र ठाकरसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर।
16. हरीराम उर्फ हीरा पुत्र शेराराम जाति जटसिख निवासी रामपुरा तहसील अबोहर पंजाब।
17. जसविन्द्र कौर पत्नि जसकरणसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी बहाववाला तहसील अबोहर पंजाब।
18. सुखवीरकौर पुत्री जसकरणसिंह पत्नि कुलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी बहाववाला तहसील अबोहर पंजाब।
19. मनदीपकौर पुत्री जसकरणसिंह पत्नि चरणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी भुखियावाला तहसील संगत मण्डी जिला भटिण्डा पंजाब।
20. परमजीतकौर पुत्री करनैलसिंह पत्नि गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया।
21. गुरमीतकौर पुत्री करनैलसिंह पत्नि रूपसिंह जाति जटसिख निवासी हाथियावाला तहसील सादुलशहर।
22. राजविन्द्र कौर पुत्री सुखपालसिंह पत्नि बुटासिंह जाति जटसिख निवासी बहाववाला तहसील अबोहर पंजाब।
23. अमनदीप कौर पुत्री सुखपालसिंह पत्नि रमनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी बहाववाला तहसील अबोहर पंजाब।
24. सिमरजीतकौर पुत्री गुरचरणसिंह पत्नि नाजमसिंह जाति जटसिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गतधारा 88, 53 आर टी ए

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री मेजरसिंह वकील वादीगण मिन जाभिन मदई एवं श्री रामकुमार जालवाल वकील



5/1/18

प्रतिवादीगण सं. 1, 3, 5, 7, 11 ता 24 मिन जानिब मुदायल पेश होकर हुक्त दिया जाता है व बाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि वादी सं. 1 मलकीतसिंह व वादी सं. 3 नरेन्द्र सिंह को चक 6 केआरडब्ल्यू के खाता सं. 63/24 के प.न. 95/127 मु.न. 15 कि.न. 13, 14 सालम की 0.506 है0, प.न. 96/127 मु.न. 16 कि.न. 11, 12, 19, 20, 21 सालम की 1.265 है0, खाता सं. 62/24 प.न. 96/128 मु.न. 19 कि.न. 1 सालम, खाता सं. 5/5 के प.न. 97/127 मु.न. 17 कि.न. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 सालम कुल 2.530 है0 प.न. 97/128 मु.न. 18 कि.न. 1, 2, 9, 10, 11, 12 सालम कुल 1.518 है0 इसी चक के खाता सं. 6/6 प.न. 95/127 मु.न. 15 कि.न. 15, 16, 17 सालम, 24 मे 0.126 है0, 25 मे 0.127 है0 की 1.012 है0 कुल आराजी 7.084 है0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी सं. 1 मलकीतसिंह व वादी सं. 2 रणजीतसिंह चक 12 पीटीपी खाता सं. 49/26 प.न. 107/135 मु.न. 33 कि.न. 11, 19, 20 सालम की 0.759 है0 चक 14 पीटीपी खाता सं. 50/51 प.न. 106/135 मु.न. 2 कि.न. 16 मे 0.202, 25 मे 0.228 है0 की 0.430 है0 कुल रकबा 1.189 है0 आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। वादी सं. 4 परचिन्द्र सिंह व वादी सं. 5 सुखजिन्द्रसिंह चक 6 केआरडब्ल्यू के खाता सं. 63/24 प.न. 95/128 मु.न. 20 कि.न. 15 मे 0.127 है0, 16 सालम की 0.380 है0, इसी चक के खाता सं. 5/5 प.न. 96/128 मु.न. 19 कि.न. 6, 7, 8 सालम की 0.759 है0, चक 18 पीटीपी के खाता सं. 14/15 प.न. 100/138 मु.न. 24 कि.न. 6 मे 0.126 है0 दोनो चको मे कुल 1.265 है0 आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। वादी सं. 6 गुरतेज सिंह पुत्र करनैलसिंह को चक 6 केआरडब्ल्यू के खाता सं. 63/24 प.न. 96/128 मु.न. 19 कि.न. 9, 10, 11 सालम की 0.759 है0, प.न. 95/128 मु.न. 20 कि.न. 6 सालम, 15 मे 0.126 है0 कुल 0.379 है0 चक 18 पीटीपी के खाता सं. 14/15 प.न. 100/138 मु.न. 24 कि.न. 6 मे 0.127 है0 कुल दोनो चको की 1.265 है0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी सं. 7 गुरमेलसिंह को चक 6 केआरडब्ल्यू के खाता सं. 6/6 प.न. 95/127 मु.न. 15 कि.न. 24 मे 0.127 है0 इसी चक के खाता सं. 63/24 प.न. 96/128 मु.न. 19 कि.न. 12, 20, 21 सालम की 0.759 है0 इसी चक के खाता सं. 63/25 प.न. 95/128 मु.न. 20 कि.न. 4 सालम, चक 18 पीटीपी के खाता सं. 14/15 प.न. 100/138 मु.न. 24 कि.न. 7 मे 0.126 है0 दोनो चको की कुल 1.265 है0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी सं. 8 जसमेलसिंह को 6 केआरडब्ल्यू के खाता सं. 6/6 प.न. 95/127 मु.न. 15 कि.न. 25 मे 0.126 है0, इसी चक के खाता सं. 5/5 प.न. 96/128 मु.न. 19 कि.न. 13, 14, 15 सालम, इसी चक के खाता सं. 63/24 प.न. 95/128 मु.न. 20 कि.न. 5 सालम, चक 18 पीटीपी के खाता सं. 14/15 प.न. 100/138 मु.न. 24 कि.न. 7 मे 0.127 है0 दोनो चको की कुल 1.265 है0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया



ए.प्र.सिंह
अधीनस्थ अधिकारी
सहरनपुर

जाता है। वादी सं. 9 करनैलसिंह को चक 12 पीटीपी के खाता सं. 49/26 प.न. 107/134 मु.न. 16 कि.न. 19 में 0.190, 22 में 0.190 कुल 0.380 है, चक 14 पीटीपी के खाता सं. 50/51 प.न. 106/135 मु.न. 2 कि.न. 5 में 0.228, 6 में 0.228, 14 में 0.126, 15 में 0.152 है, दोनो चको की कुल 1.114 है, आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी सं. 10 जगसीरसिंह को चक 6 केआरडब्ल्यू के खाता सं. 6/6 प.न. 97/130 मु.न. 26 कि.न. 12, 13, 18, 19 सालम, 22 में 0.127 है, कुल 1.139 है, चक 12 पीटीपी के खाता सं. 49/26 प.न. 107/134 मु.न. 16 कि.न. 21 में 0.063 है, प.न. 107/135 मु.न. 33 कि.न. 8 में 0.063, 13 में 0.127 कुल 0.190 है, कुल रकबा 1.392 है, आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी सं. 11 गुरतेजसिंह को चक 6 केआरडब्ल्यू के खाता सं. 5/5 प.न. 97/130 मु.न. 26 कि.न. 8 सालम, इसी चक के खाता सं. 6/6 प.न. 97/130 मु.न. 26 कि.न. 9, 10, 11 सालम, 2, 3 में 0.127 है, चक 12 पीटीपी के खाता सं. 49/26 प.न. 107/135 मु.न. 33 कि.न. 12 सालम कुल रकबा 1.392 है, आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी सं. 12 छीन्द्रसिंह को चक 6 केआरडब्ल्यू के खाता सं. 5/5 प.न. 97/128 मु.न. 18 कि.न. 18, 19, 20 सालम, इसी चक के खाता सं. 6/6 प.न. 107/135 मु.न. 33 कि.न. 2 सालम, प.न. 97/130 मु.न. 26 कि.न. 23 में 0.126, चक 12 पीटीपी के खाता सं. 49/26 प.न. 107/134 मु.न. 16 कि.न. 21 में 0.127 है, प.न. 107/135 मु.न. 33 कि.न. 8 में 0.127 है, कुल 1.392 है, आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी सं. 13 जगजीतसिंह को चक 6 केआरडब्ल्यू के खाता सं. 5/5 प.न. 97/129 मु.न. 25 कि.न. 21, 22, 23, 24 सालम, इसी चक के खाता सं. 6/6 प.न. 97/130 मु.न. 26 कि.न. 22 में 0.126 है, चक 12 पीटीपी के खाता सं. 49/26 प.न. 107/134 मु.न. 16 कि.न. 21 में 0.063 है, प.न. 107/135 मु.न. 33 कि.न. 8 में 0.063, 13 में 0.126 कुल रकबा 1.390 है, आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी सं. 10 जगसीरसिंह व वादी सं. 11 गुरतेजसिंह, वादी सं. 12 छीन्द्रसिंह, वादी सं. 13 जगजीतसिंह चक 12 पीटीपी के खाता सं. 49/26 प.न. 107/134 मु.न. 16 कि.न. 19 में 0.063, 22 में 0.063 है, कुल रकबा 0.126 है, रकबा बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। वादी सं. 14 हरेन्द्रसिंह व वादी सं. 15 अवतारसिंह बहिब चक 4 केआरडब्ल्यू के खाता सं. 6/7 प.न. 102/126 मु.न. 26 कि.न. 4 में 0.127 है, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सालम, इसी चक के खाता सं. 7/4 प.न. 102/133 मु.न. 68 कि.न. 18, 22, 23 सालम, प.न. 102/134 मु.न. 77 कि.न. 4 सालम कुल 3.922 है, आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। वादी सं. 16 सुखपालसिंह को चक 12 पीटीपी के खाता सं. 49/26 प.न. 107/135 मु.न. 33 कि.न. 1 में 0.215 है, 9, 10 सालम कुल 0.721 है, आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी सं. 17 चरणजीतकौर को चक 18 पीटीपी के खाता सं. 14/15 प.न. 100/138



मु.न. 24 कि.न. 2, 3 सालग कुल 0.506 है0 आराजी के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। वादी सं. 18 अन्गोलसिंह, वादी सं. 19 नवदीपसिंह बहिव चक 3 केआरडब्ल्यू के खाता सं. 10/11 प.न. 107/123 मु.न. 22 कि.न. 12, 19, 22 सालग, प.न. 106/124 मु.न. 28 कि.न. 5 मे 0.127 है0, 6, 15, 16 सालग, प.न. 107/124 मु.न. 29 कि.न. 1, 2, 9, 10, 11, 12 सालग कुल 1.518 है0, चक 12 पीटीपी के खाता सं. 49/26 प.न. 107/135 मु.न. 33 कि.न. 2 मे 0.215 है0, चक 18 पीटीपी के खाता सं. 14/15 प.न. 100/137 मु.न. 14 कि.न. 23/2 मे 0.190 है0, प.न. 100/138 मु.न. 24 कि.न. 1/2 मे 0.031, 4, 5, 8, 9, 10/2 मे 0.032 है0 कुल तीनों चको मे 4.643 है0 आराजी के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है। राजस्व तहसील सादुलशहर के चक 4 केआरडब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2069-72 खाता सं. 6/7 मे प्रतिवादी सं. 1 गुरदेवसिंह का नाम 1.454 है0 तक, प्रतिवादी सं. 2 जंगीरसिंह का नाम 0.485 है0 तक, प्रतिवादी सं. 3 व 4 का नाम बहिव 0.485 है0 तक कलमजन किया जावें। राजस्व तहसील संगरिया के चक 12 पीटीपी जमाबंदी सम्वत 2068-71 के खाता सं. 49/26 मे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम 806 हिस्सा तक, प्रतिवादी सं. 2 का नाम 268 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 ता 7 का 269 हिस्सा तक, प्रतिवादी सं. 8 का नाम 1155 हिस्सा तक, प्रतिवादी सं. 9 व 10 का नाम 500 हिस्सा तक, प्रतिवादी सं. 11 ता 15 का नाम 1155 हिस्सा तक, प्रतिवादी सं. 16 का नाम 413 हिस्सा तक कलमजन किया जावें। तहसील संगरिया के चक 14 पीटीपी जमाबंदी सम्वत 2068-71 के खाता सं. 50/15 मे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम 808-1/2 हिस्सा तक, प्रतिवादी सं. 2 का नाम 269-1/4 हिस्सा तक, प्रतिवादी सं. 5 ता 7 का नाम 269-1/4 हिस्सा तक, प्रतिवादी सं. 3 व 4 का नाम 270 हिस्सा तक, प्रतिवादी सं. 8 का नाम 1156 हिस्सा तक, प्रतिवादी सं. 9 व 10 का नाम 500 हिस्सा तक, प्रतिवादी सं. 16 का नाम 413 हिस्सा तक कलमजन किया जावें। उक्तानुसार ही वादीगण के खाते अलग अलग कायम किये जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। तहसीलदार को पालनार्थ पत्र जारी हो। यदि रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री की पालना की जावें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं न्यायालय मे मुद्रा से दिनांक 06/12/19 को जारी की



हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

